

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मार्च 2006 — फाल्गुन 17, शक 1927

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक 1069/वि-3/रा. ग्रा. रौ. गा. यो./2006. — राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए प्रकाशित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत
राज्य योजना

अध्याय-1 - विस्तृत रूपरेखा एवं उद्देश्य

1.1 शीर्षक

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (ii)
छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005

1.2 विस्तार

प्रदेश में योजना का क्षेत्राधिकार 11 जिलों - बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरिया एवं कबीरधाम (कवर्धा) के ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। इन 11 जिलों की समस्त ग्राम पंचायतों में यह योजना क्रियान्वित की जावेगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत जिन जिलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा उन जिलों में यह योजना लागू होगी।

1.3 उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना।

1.4 पात्रता

1.4.1 केन्द्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र है। योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिये "एक परिवार" पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करते हैं, 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस हेतु:-

- (i) परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।
- (ii) स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन में परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों का विवरण देना होगा।
- (iii) ग्राम पंचायत से परिवार का रोजगार परिवार कार्ड प्राप्त करना होगा।
- (iv) रोजगार परिवार कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा।
- (v) अकुशल मानव श्रम करने के लिये इच्छुक परिवार के सदस्य।

1.4.2 ऐसी महिलायें जो कि परिवार के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा रोजगार हेतु आवेदन करती हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जावेगी। यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम से कम एक तिहाई महिलायें लाभान्वित हों।

1.4.3 यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अपंग व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे उसकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य दिया जावेगा।

1.5 सामान्य प्रावधान-

1.5.1 योजना में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 2 में उल्लेखित परिभाषायें यथा स्थान प्रभावशील होंगी।

1.5.2 योजना में प्रयुक्त "परिवार" से तात्पर्य अधिनियम के अध्याय-1 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "Household" से है।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद (C.G.State Employment Guarantee Council) -

1.6.1 राज्य स्तर पर एक राज्य रोजगार गारंटी परिषद होगी जिसे "छ.ग. राज्य रोजगार गारंटी परिषद" कहा जावेगा। छ.ग. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की राज्य स्तरीय सामान्य सभा होगी, जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे:-

- (i) मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष।
- (ii) मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास - उपाध्यक्ष।
- (iii) मंत्री, वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, विधि एवं विधायी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
- (iv) उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल।
- (v) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
- (vi) सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
- (vii) आयुक्त, छ.ग.रोजगार गारंटी योजना - सदस्य सचिव
- (viii) राज्य शासन द्वारा नामांकित कम से कम 6 अशासकीय सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि।

1.6.2 छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा के कार्य:-

- (i) राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन को सलाह देना।
- (ii) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- (iii) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद से आवश्यक समन्वय स्थापित करना।
- (iv) योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करना।

- (v) राज्य शासन द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- (vi) केन्द्रीय परिषद अथवा राज्य शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को निष्पादित करना।
- (vii) केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं स्वायत्त संस्थाओं के सहयोग से परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपयुक्त अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक ढांचा निर्मित करना।
- (viii) परिषद के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना, आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन करना, नियमों में परिवर्तन करना और नियमों को निरस्त करना।
- (ix) राज्य स्तरीय सशक्त समिति को ऐसी शक्तियां एवं कर्तव्य सौंपना जैसा परिषद उचित समझे।
- (x) राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर अनुमोदन करना।
- (xi) ऐसे संमस्त कार्य एवं गतिविधियां हाथ में लेना जो परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक हो।

1.6.3 परिषद की राज्य स्तरीय सशक्त समिति होगी, जिसका नाम छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति होगा। सशक्त समिति का गठन निम्नानुसार होगा:-

- (i) मुख्य सचिव - अध्यक्ष
- (ii) कृषि उत्पादन आयुक्त - सदस्य
- (iii) सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास - सदस्य
- (iv) आयुक्त, छ.ग.रोजगार गारंटी योजना - सदस्य सचिव
- (v) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, आदिमजाति, श्रम, विधि-विधायी, सामान्य प्रशा.वि., छ.ग.शासन - सदस्य

- (vi) आयुक्त, जनसंपर्क — सदस्य
- (vii) संचालक, पंचायत एवं सामाज कल्याण — सदस्य
- (viii) प्रभारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र — सदस्य

1.6.4 सशक्त समिति को छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम के अंतर्गत समन्वय तथा मंत्रि परिषद को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निर्णय लेने के लिये समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार होंगे। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारु रूप से संचालन करने के लिये इस सशक्त समिति के सभी निर्णय अंतिम होंगे।

1.6.5 राज्य स्तरीय रोजगार गारंटी सशक्त समिति निम्नांकित कार्य करेगी:—

- (i) भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन एवं वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत कार्यवाही करना।
- (ii) परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न स्तरों जिसमें मैदानी स्तर भी सम्मिलित हो, को आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करना।
- (iii) केन्द्र सरकार से योजनांतर्गत प्राप्त राशि का संधारण।
- (iv) छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित कार्यों के लिये विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- (v) शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना एवं सुधार हेतु सुझाव देना।
- (vi) योजना की समीक्षा करना एवं प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अनुसार कार्यवाही करना।
- (vii) योजना का प्रचार-प्रसार।
- (viii) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न अनुशंसाएं करना।

अध्याय-दो – कार्यक्रम का संचालन

2.1. वैधानिक क्रियान्वयन एजेन्सी

- 2.1.1 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग होगा तथा विभाग के विकास आयुक्त कार्यालय में योजना के क्रियान्वयन हेतु पृथक से रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिये "आयुक्त, रोजगार गारंटी" की पदस्थापना की जाएगी जो योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर उत्तरदायी होंगे। आयुक्त, रोजगार गारंटी समय-समय पर छ.ग.राज्य रोजगार गारंटी परिषद एवं छ.ग.राज्य सशक्त समिति की बैठक आहूत कर योजना के संबंध में प्रतिवेदन देंगे।
- 2.1.2 जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना बनाने तथा क्रियान्वयन हेतु प्रमुख संस्थाएँ होंगी।
- 2.1.3 जिला कलेक्टर "जिला कार्यक्रम समन्वयक" तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" विनिर्दिष्ट किये जाते हैं।
- 2.1.4 जिले में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु "जिला कार्यक्रम समन्वयक" पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2.1.5 जिले में योजना के क्रियान्वयन हेतु पृथक से रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा।
- 2.1.6 जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत "नियंत्रक अधिकारी" के रूप में कार्य करेंगे।
- 2.1.7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अधीन "कार्यक्रम अधिकारी" की पदस्थापना की जावेगी जो पूर्णकालिक रूप से योजना के क्रियान्वयन का कार्य देखेंगे। पृथक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को योजना के क्रियान्वयन के लिये कार्यक्रम अधिकारी घोषित किया

जाता है। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे ।

2.1.8 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी को योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जावेगी ।

2.1.9 इस योजना के लिये चयनित प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर पृथक से रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

2.1.10 योजना के अंतर्गत जिले को आवंटित कुल राशि के 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है, इसलिये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अथवा दो ग्राम पंचायतों के बीच एक सहायक रोजगार कर्मी सविदा पर कार्यक्रम अधिकारी की अनुशंसा पर जिला समन्वयक के अनुमोदन से जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी होगा ।

2.1.11 भारत सरकार से जनपद एवं ग्राम स्तर पर होने वाले स्थापना व्यय को योजनांतर्गत 2 प्रतिशत आकस्मिक निधि से वहन करने के निर्देश हैं । अगर भारत सरकार द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत आकस्मिक निधि मान्य किया जाता है तो प्रत्येक पंचायत में सहायक रोजगार कर्मी की नियुक्ति की जावेगी ।

2.2 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी -

प्रदेश सरकार के शासकीय विभाग, पंचायती राज संस्थाएँ, स्व-सहायता समूह, अशासकीय संगठन, केन्द्र एवं राज्य शासन के उपक्रम योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किये जा सकते हैं ।

2.3 क्रियान्वयन प्रक्रिया:- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार :

योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय भाषा में आसानी से पठनीय सामग्री, मल्टीमीडिया संचार, स्थानीय विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कला के माध्यम से तथा स्थानीय स्तर पर संवाद एवं गोष्ठियों के माध्यम से किया जाएगा ।

2.4 रोजगार की मांग का आंकलन—

2.4.1 रोजगार की मांग का आंकलन कर कार्यों का नियोजन करते हुये हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावेगा।

2.5 पंजीकरण की प्रक्रिया:—

2.5.1 वर्ष 2003 के बीपीएल सर्वे के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया "पंजीकरण अधिकारी/सरपंच ग्राम पंचायत" - द्वारा की जावेगी।

2.5.2 पंजीकरण की प्रक्रिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासकीय निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित की जावेगी।

2.6 परिवार रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) —

2.6.1 पंजीयत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा परिवार रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) जारी किया जावेगा, जिसमें संबंधितों का पूर्ण विवरण होगा। परिवार रोजगार कार्ड जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिये वैध होगा एवं प्रत्येक 5 वर्ष समाप्ति के बाद एक माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जावेगा।

2.6.2 परिवार रोजगार कार्ड का प्रारूप एवं जारी करने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासकीय निर्देशों के अंतर्गत किया जावेगा।

2.6.3 बीपीएल सर्वे 2003 पंजीयन एवं परिवार रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) का आधार होगा, परिवर्तन करने हेतु मात्र ग्राम पंचायत सक्षम होगी। परिवर्तित परिवार रोजगार कार्ड सरपंच/पंजीयन अधिकारी (विकास विस्तार अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी) के हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित किये जाते हैं तो ग्राम पंचायत की अनुशंसा के अनुसार परिवार रोजगार कार्ड में संशोधन किये जाकर संशोधित जॉब कार्ड ही परिवार के मुखिया को उपलब्ध कराया जावे।

2.6.4 परिवार रोजगार कार्ड प्राप्त न होने पर, जारी किये गये किसी भी परिवार रोजगार कार्ड पर अथवा परिवार रोजगार कार्ड की प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर कोई भी आपत्तिकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है तथा सरपंच द्वारा एक सप्ताह में आपत्ति का निराकरण किया जाकर आपत्तिकर्ता को अवगत कराया जायेगा।

2.6.5 सरपंच के निष्णय से असंतुष्ट होने पर क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार को 15 दिवस में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा यथोचित जांच के उपरान्त एक सप्ताह में अपील का निराकरण करना होगा। तहसीलदार का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

2.6.6 प्रस्तावित संशोधन एवं ग्राम पंचायत द्वारा किये गये संशोधनों की जानकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार को दी जायेगी। यदि तहसीलदार/नायब तहसीलदार किसी भी परिवर्तित प्रविष्टि को संदिग्ध मानते हैं तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष अंतिम आदेश हेतु प्रस्तुत करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

2.7 रोजगार हेतु आवेदन

2.7.1 ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत प्रत्येक परिवार जिसके नाम से रोजगार पत्र जारी किया गया है, का वयस्क सदस्य योजनांतर्गत अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का पात्र होगा।

2.7.2 प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य जो कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है एवं अकुशल मानव श्रम को स्वेच्छा से करने हेतु तैयार है, वह अपना नाम, उम्र एवं पता सहित आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

2.7.3 आवेदन का प्रारूप, पंजीयन एवं आवेदन प्राप्त होने पर समयावधि में कार्यवाही बाबत निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जावेंगे।

2.8 रोजगार की उपलब्धता—

2.8.1 रोजगार की उपलब्धता "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के सिद्धांत पर दी जायेगी।

- 2.8.2. ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत तथा यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि आवेदक द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है, वह आवेदक को स्वीकृत कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेगा।
- 2.8.3. ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु प्राप्त आवेदन एवं ग्रामीण क्षेत्र से अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार की मांग का आकलन किया जावेगा।
- 2.8.4. रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत क्षेत्रांगतर्गत पूर्व से जारी रोजगारमूलक कार्यों पर आवेदक को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेगी, अन्यथा पंचायत स्तर पर उपलब्ध शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में से कार्य आरंभ करते हुये रोजगार प्राप्त उपलब्ध कराने अथवा अन्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगी।
- 2.8.5. रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कार्य आरंभ कराये जाने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा सकेगा। श्रमिक कार्य पर उपस्थित होते समय कार्यस्थल पर क्रियान्वयन एजेंसी को भी आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनकी सूचना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी तथा परिवार रोजगार कार्ड में उपलब्ध कराये गये रोजगार की प्रविष्टि की जावेगी।
- 2.8.6. किसी ग्राम पंचायत में कम से 50 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग किये जाने पर 15 दिवस के अंदर इस प्रकार का श्रम मूलक कार्य प्रारंभ किया जाना बंधनकारी होगा जिसमें आवेदक परिवारों को कम से कम 14 दिवस का कार्य एक स्थल पर निरंतर उपलब्ध हो सके परंतु राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसूची 2 की धारा 13 (ख) अनुसार उपरोक्त शर्त पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों के लिये लागू नहीं होगी। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आवेंगे, इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जावेंगे।
- 2.8.7. यह प्रयास किया जावेगा कि आवेदक द्वारा दर्शाये गये निवास ग्राम के 5 कि.मी. की परिधि में ही उसे रोजगार उपलब्ध हो जाये तथा यदि उक्त रोजगार उपलब्ध न हो तो ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन पत्र को जनपद स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी के

समक्ष प्रेषित किया जावेगा जो कि जनपद क्षेत्रांतर्गत उपलब्ध रोजगार कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचित करेगा। इस हेतु आवेदक को परिवहन एवं अन्य व्यय हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

- 2.8.8 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी क्षेत्र में अथवा किसी भी मौसम में रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने पर रोजगार उपलब्ध कराना बंधनकारी है परंतु राज्य में 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक मानसून की सक्रियता एवं कृषि कार्यों में श्रमिकों की आवश्यकता को देखते हुए इस अवधि में मांग किये जाने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने की दशा में बेरोजगारी भत्ते की पात्रता आवेदक को नहीं होगी।

- 2.8.9 ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासकीय निर्देशों के अंतर्गत किया जावेगा।

2.9 आवश्यक अभिलेखों का संधारण—

- 2.9.1 पंजीयन/ परिवार रोजगार कार्ड पंजी, रोजगार आवेदन पंजी, रोजगार पंजी, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजी, मजदूरी भुगतान पंजी, सामाजिक अंकेक्षण पंजी, कार्यस्थल पर निरीक्षण पुस्तिका, शिकायत पुस्तिका, बेरोजगारी भत्ता के पंजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित की जावेगी।

अध्याय-3-योजना का क्रियान्वयन

3.1 योजनान्तर्गत लिये जाने वाले कार्य

योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जावेगा:-

- (i) जल संवर्धन एवं संरक्षण
- (ii) सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधरोपण सहित) (Drought Proofing including afforestation and plantation)
- (iii) सिंचाई, नहर (माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित)
- (iv) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अजा/अजजा के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- (v) परम्परागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरुद्धार (तालाबों से मिट्टी निकालने सहित)
- (vi) भूमि विकास के कार्य
- (vii) बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधी कार्य
- (viii) बारहमासी ग्रामीण पहुँचमार्ग/ग्रामीण गलियों में पक्का सड़क निर्माण
- (ix) केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कोई कार्य

3.2 क्रियान्वयन

3.2.1 अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार योजना के क्रियान्वयन एवं नियोजन हेतु ग्राम/जनपद/जिला पंचायतें प्रमुख संस्थाएँ होंगी। योजनांतर्गत लागत के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जावेंगे। शेष कार्यों का क्रियान्वयन अन्य एजेंसी द्वारा किया जावेगा। अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में प्रदेश सरकार के शासकीय विभाग, स्व-सहायता समूह, अशासकीय संगठन, केन्द्र एवं राज्य शासन के उपक्रम चयनित किये जावेंगे।

3.2.2 जिले में कुल लागत के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कियान्वित किये जायेंगे।

3.2.3 यदि कोई कियान्वयन एजेंसी 15 दिवस में कार्य शुरू करने और रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ होती है तो कार्यक्रम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जनपद पंचायत के लिये निर्मित वार्षिक प्लान में चयनित एजेंसी के पैनल में से किसी अन्य एजेंसी को दायित्व सौंप सकता है।

3.2.4 यदि ग्राम पंचायत द्वारा 15 दिवस में कार्य का संपादन नहीं किया जाता है तो कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह आवेदकों को किसी अन्य कियान्वयन एजेंसी के अधीनस्थ रहकर कार्य उपलब्ध कराये, परन्तु जिला समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटन के कम से कम 50 प्रतिशत राशि के कार्य पंचायतों के माध्यम से कियान्वित हो।

3.2.5 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कियान्वयन एजेंसियों पर प्रभावी नियंत्रण—

योजना के सफल कियान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिले के अंतर्गत कार्यरत राज्य शासन के समस्त अधिकारी जिला पंचायत एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं के समस्त अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रति जिम्मेदार होंगे।

3.2.6 जिला स्तर पर कार्यरत समस्त कियान्वयन एजेंसी जिला कार्यक्रम समन्वयक के पर्यवेक्षण में ही योजनाओं का कियान्वयन करेंगी।

3.2.7 जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी भी कियान्वयन एजेंसी के कार्य आरंभ करने में असफल होने पर कियान्वयन एजेंसी को बदलकर अन्य एजेंसी का निर्धारण कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला कार्यक्रम समन्वयक यह निर्णय लेने में सक्षम होगा कि वह जिला स्तरीय वार्षिक कार्ययोजना में से किसी भी कियान्वयन एजेंसी को कार्य सौंप सकेगा।

3.2.8 योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी निर्देशों के पालन में यदि किसी जिला अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है अथवा आदेशों का पालन नहीं किया जाता तो उसके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही माना जावेगा।

3.3 ठेकेदारी प्रथा/मशीनों पर प्रतिबंध

योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित रहेगी। संरचना की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करते हुये मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों (Labour Displancing Machine) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

3.4 कार्यस्थल पर देय सुविधायें एवं क्षतिपूर्ति -

के प्रारंभिक दिनांक 01 नवंबर 1997 के पश्चात् की गयी उपरोक्त योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले

3.4.1 कार्यस्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, छांव हेतु शेड, झूला घर इत्यादि, उपलब्ध कराये जावे।

3.4.2 योजनांतर्गत कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु होने पर अथवा कार्य करते समय दुर्घटना से स्थायी अपंगता होने की स्थिति में उसे क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा राशि अधिकतम रु. 25000/- बतौर हर्जाना के रूप में स्वीकृत किया जायेगा तथा यह राशि स्थिति के अनुसार वैद्य उत्तराधिकारी को अथवा अपंग व्यक्ति को दी जावेगी।

3.4.3 योजनांतर्गत कार्यरत व्यक्ति को चोट लगने अथवा कार्य करते समय दुर्घटना से अस्थायी अपंगता की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निःशुल्क आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

3.4.4 इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जावेंगे।

3.5 मजदूरी का भुगतान-

3.5.1 योजनांतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा निर्धारित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित अधिसूचित मजदूरी पाने का हक होगा।

3.5.2 महिला एवं पुरुषों में मजदूरी भुगतान में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

3.5.3 मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जावेगा।

3.5.4 मजदूरी भुगतान के समय परिवार रोजगार' कार्ड लाना अनिवार्य होगा। बिना परिवार रोजगार कार्ड के मजदूरी भुगतान नहीं किया जावेगा।

3.5.5 ग्राम पंचायत/क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा मजदूरी भुगतान का विवरण परिवार रोजगार कार्ड में इन्द्राज किया जाएगा तथा यह भुगतानकर्ता का दायित्व होगा।

3.6 बेरोजगारी भत्ता

3.6.1 यथासंभव राज्य में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा परंतु बेरोजगारी भत्ते हेतु रोजगार दिवसों की गणना रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न शासकीय विभागों के अधीन संचालित योजनाओं में वर्ष में उपलब्ध कराये गए रोजगार दिवसों को घटाकर की जाएगी। प्रत्येक विभाग जो ग्राम पंचायत में कार्य खोलेंगे इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व देंगे।

3.6.2 प्रदेश के सभी शासकीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं में उपलब्ध कराये गए श्रमिक दिवसों की प्रविष्टि परिवार रोजगार कार्ड में किया जाना अनिवार्य है।

3.6.3 बेरोजगारी भत्ते के रूप में भुगतान योग्य कुल राशि का योग, वित्तीय वर्ष में किसी परिवार को न्यूनतम मजदूरी दर पर प्रदाय की गई मजदूरी की कुल राशि एवं बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदाय की गई कुल राशि का योग 100 दिवस की न्यूनतम मजदूरी के योग से ज्यादा नहीं होगा।

3.6.4 बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगी तथा शेष अवधि के लिये न्यूनतम मजदूरी दर से आधी से कम नहीं होगी।

3.6.5 बेरोजगारी भत्ते की पात्रता/अपात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया के बारे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासकीय निर्देश जारी किये जावेंगे।

अध्याय-4-नियोजन एवं कार्यों का निष्पादन

4.1 कार्ययोजना का निर्माण-

जिला कार्यक्रम समन्वयक जिले के लिये पंचवर्षीय योजना तैयार करवायेंगे जिसमें प्राथमिकता के आधार पर निम्न गतिविधियाँ शामिल होंगी:-

- (i) जल संवर्धन एवं संरक्षण
- (ii) सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधरोपण सहित) (Drought Proofing including afforestation and tree plantation)
- (iii) सिंचाई, नहर (माईको एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित)
- (iv) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अजा/अजजा के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- (v) परम्परागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरुद्धार (तालाबों से मिट्टी निकालने सहित)
- (vi) भूमि विकास के कार्य
- (vii) बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधी कार्य
- (viii) बारहमासी ग्रामीण पहुंचमार्ग/ग्रामों में आंतरिक सड़कों/गलियों का पक्का निर्माण
- (ix) *केन्द्र शासन द्वारा-राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कोई कार्य

4.2 पंचवर्षीय योजना निर्माण की प्रक्रिया- प्रत्येक जिले की आगामी 5 वर्षों के लिये एक दीर्घावधि योजना का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु कार्यों का चयन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसदगण, विधायकगण एवं विशेषज्ञों की सहायता से जिले में रोजगार की मांग को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना चाहिये। योजना में क्षेत्रवार कार्यों का चयन

इस प्रकार किया जाना चाहिये कि जिले में प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार की मांग प्राप्त होने पर प्रस्तावित कार्यों से रोजगार की मांग की तत्काल पूर्ति की जा सके।

- 4.3 **मजदूरों का आंकलन (लेबर बजट)**— अधिनियम की धारा 14(6) के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रतिवर्ष जिले के लिये लेबर बजट तैयार किया जायेगा तथा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला पंचायत को कार्ययोजना प्रस्तुत की जायेगी।
- 4.4 **वार्षिक कार्ययोजना**— जिले हेतु बनाई गयी पंचवर्षीय योजना एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रस्तुत लेबर बजट के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा। योजना का स्वरूप तथा कार्यों की प्राथमिकता का आंकलन रोजगार की मांग के आधार पर किया जायेगा।
- 4.5 प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र में आता है जहां वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। वन क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार की मांग होने पर वन विभाग के परामर्श से ही कार्य क्रियान्वित कराकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4.6 प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर तक जिले की अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जाएगा। कार्ययोजना 10 जनवरी तक पूर्ण की जाकर राज्य को सूचित की जाएगी। कार्ययोजना में कार्यों का चयन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं स्थानीय विधायकों/सांसदों के परामर्श से किया जाएगा।
- 4.7 कार्यों के क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासकीय एवं वित्तीय नियम लागू होंगे। तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर स्वीकृत शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर दी जाएगी।
- 4.8 जिले में वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कुल कार्यों में मजदूरी एवं मटेरियल का अनुपात 60:40 का रहेगा।

अध्याय-5 -वित्तीय प्रबंध

5.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत शासन द्वारा अलग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से भारत शासन द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत राशि प्रदान की जायेगी। राज्यों को समय-समय पर यह राशि भारत शासन के नियमों के तहत प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार गारंटी निधि, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण की व्यवस्था निम्नानुसार होगी।

5.2 राज्य स्तर

राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद होगी। छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद का राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि स्थापित की जायेगी। इस निधि में निम्नानुसार माध्यम से राशि प्राप्त होगी -

- अ. भारत सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली राशि।
- ब. राज्य शासन द्वारा राज्यांश एवं स्थापना अनुदान के रूप में बजट के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि।
- स. अन्य आय।

भारत सरकार एवं राज्य शासन से प्राप्त होने वाली राशि से परिषद द्वारा निर्धारित पब्लिक सेक्टर बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि का एक बैंक खाता खोला जायेगा जिसमें यह राशि जमा की जायेगी। इस खाते का संचालन आयुक्त, रोजगार गारंटी एवं प्रकोष्ठ के लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इस खाते से मुख्यालय कार्यालय से संबंधित व्यय एवं जिला क्रियान्वयन एजेंसी को उनकी स्वीकृत योजना एवं मांग अनुसार राशि जारी की जायेगी। इस लेखे के लिए पृथक से क्रेडिट बुक, व्हाउचर, डेबिट लेजर, क्रेडिट

लेजर, चैक रजिस्टर, बैंक रीकंसाईलेशन रजिस्टर, आय-व्यय पत्रक, बेलेन्स शीट एवं इससे संबंधित सभी रजिस्टर संधारित किये जायेंगे। इन लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार, भारत सरकार एवं लोकल फण्ड आडिट द्वारा किया जायेगा। बेलेन्स शीट एवं स्टैंच्युरी आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा।

राज्य स्तर पर बेरोजगारी भत्ता निधि नाम से एक पृथक खाता पब्लिक सेक्टर बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा तथा इसमें राज्य शासन से प्राप्त होने वाली बेरोजगारी भत्ते की राशि रखी जाएगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार जिलों को वितरित की जाएगी।

5.3 जिला पंचायत स्तर

जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जो इस योजना के क्रियान्वयन के लिये अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे के पदनाम से जिला रोजगार गारंटी निधि के नाम से पब्लिक सेक्टर बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता रखा जायेगा। इस खाते का संचालन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इस खाते में राशि छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद/भारत सरकार/अन्य के द्वारा जारी की गई राशि जमा की जायेगी। इस खाते से क्रियान्वयन-एजेंसी को राशि उनकी स्वीकृत योजना एवं मांग अनुसार जारी का जायेगी।

जिला स्तर पर बेरोजगारी भत्ता निधि नाम से एक पृथक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा तथा इसमें राज्य से प्राप्त होने वाली बेरोजगारी भत्ते की राशि रखी जाएगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार जनपद पंचायतों को वितरित की जाएगी।

जिला स्तर पर इस योजना के लिए पृथक से कैश बुक, व्हाउचर, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, चैक रजिस्टर, बैंक रीकंसाईलेशन रजिस्टर, आय व्यय पत्रक, बेलेन्स शीट एवं इससे संबंधित सभी रजिस्टर संधारित किये जायेंगे। इन लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार, भारत सरकार एवं लोकल फण्ड आडिट द्वारा किया जायेगा। बेलेन्स शीट एवं स्टैंच्युरी आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। जिला

कार्यक्रम समन्वयक द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी को, जिनके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा को राशि जारी की जायेगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि के समुचित उपयोग एवं प्रबंधन के लिये जिम्मेदार होंगे।

शासन के विभिन्न विभागों को जारी की गई राशि का लेखा-व्यय शासन के नियमानुसार संधारित करेंगे। इस योजना का लेखा, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय पत्रक एवं आवश्यक जानकारी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को उपलब्ध कराने के लिये जिम्मेदार होंगे।

5.4 जनपद पंचायत स्तर

जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियंत्रण अधिकारी होंगे।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा जनपद रोजगार गारंटी निधि नाम से अलग बैंक खाता रखा जायेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक/परिषद/भारत सरकार/अन्य से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त होने वाली राशि इस खाते में जमा की जायेगी। इस खाते का संचालन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इस खाते से राशि क्रियान्वयन एजेंसियों को उनकी स्वीकृत योजना एवं मांग अनुसार कार्यक्रम अधिकारी की अनुशंसा पर जारी की जायेगी।

विकासखण्ड स्तर पर बेरोजगारी भत्ता निधि नाम से एक पृथक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा तथा इसमें जिले से प्राप्त होने वाली बेरोजगारी भत्ते की राशि रखी जाएगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार हितग्राहियों को वितरित की जाएगी।

जनपद स्तर पर इस योजना के लिए पृथक से कैश बुक, व्हाउचर, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, चैक रजिस्टर, बैंक रीकसाईलेशन रजिस्टर, आय व्यय पत्रक, बेलेन्स शीट एवं इससे संबंधित सभी रजिस्टर संधारित किये जायेंगे। इन लेखों का अंकक्षण महालेखाकार द्वारा एवं पंचायत विभाग के आडीटर, लोकल फण्ड आडिट द्वारा किया जायेगा। बेलेन्स शीट एवं स्टेच्युरी आडिट अतिरिक्त जिला

समन्वयक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सहायोग के लिये कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य अमले की व्यवस्था की जावेगी।

5.5 ग्राम पंचायत स्तर

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए रोजगार गारंटी निधि के नाम से अलग बैंक एकाउन्ट रखा जायेगा। इस एकाउन्ट में जनपद पंचायत/जिला पंचायत/परिषद/भारत सरकार/अन्य से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन के लिए प्राप्त होने वाली राशि जमा की जायेगी। इस खाते का संचालन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। पंचायत स्तर पर राशि का आहरण सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी की अनुशंसा पर किया जावेगा। ग्राम स्तर पर इस योजना के लिए पृथक से केश बुक, व्हाउचर, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, चैक रजिस्टर, बैंक रीकंसाईलेशन रजिस्टर, आय व्यय पत्रक, मस्टर रोल एवं योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाली सम्पत्ति से संबंधित सभी प्रकार के रजिस्टर संधारित किये जायेंगे इन लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार, भारत सरकार, पंचायत विभाग के आडिटर एवं लोकल फण्ड आडिट द्वारा किया जायेगा। बैलेंस शीट एवं स्टेच्युरी आडिट कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा।

लेखा संधारण/लेखा परीक्षा के लिये निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर लेखों के संधारण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत अथवा दो ग्राम पंचायतों के बीच एक सहायक पंचायत कर्मी की व्यवस्था की जावेगी।

5.6 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत होने वाले आय एवं व्यय से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह निम्नानुसार प्रेषित की जावेगी:-

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत द्वारा विगत माह तक कुल प्राप्ति एवं व्यय राशि का आय-व्यय पत्रक आगामी माह की 10 तारीख तक जनपद पंचायतों पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

जनपद पंचायत

जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त राशि का आय-व्यय पत्रक का रिकंसाइलेशन किया जायेगा एवं जनपद पंचायत द्वारा किये गये व्ययों को सम्मिलित कर आय-व्यय पत्रक 20 तारीख तक जिला पंचायतों को प्रस्तुत करेगा।

यह पत्रक जिला पंचायत के द्वारा 22 तारीख तक जिला स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।

जिला पंचायत

जिला पंचायतों द्वारा जनपद पंचायतों/विभागों से प्राप्त व्यय विवरण का रिकंसाइलेशन किया जायेगा एवं जिला पंचायत द्वारा किये गये व्ययों को सम्मिलित कर आय-व्यय पत्रक 25 तारीख तक मुख्यालय (छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद) को प्रस्तुत करेगा।

राज्य स्तर, मुख्यालय

(छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा

जिलों से प्राप्त जानकारी को संकलित कर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी काउंसिल द्वारा निर्धारित तिथि एवं अंतराल पर प्रेषित किया जायेगा।

अध्याय-6-गुणवत्ता, निगरानी और मूल्यांकन

6.1 छ.ग.राज्य रोजगार गारंटी परिषद(C.G. State Employment Guarantee Council)

योजना के सफल क्रियान्वयन एवं सतत निरीक्षण, पर्यवेक्षण का कार्य छ.ग. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा किया जायेगा।

6.2 गुणवत्ता नियंत्रण

योजनांतर्गत क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों में गुणवत्ता आंकलन एवं संधारण हेतु राज्य स्तर पर क्वालिटी मानिटर्स (विशेषज्ञ) का पैनल तैयार किया जावेगा। क्वालिटी मानिटर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में किये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो। पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण कार्य के अतिरिक्त क्वालिटी मानिटर्स भी गुणवत्ता नियंत्रण के दायित्व का सम्पादन करेंगे। राज्य स्तरीय क्वालिटी मानिटर्स राज्य शासन को रिपोर्ट देंगे।

क्वालिटी मानिटर्स के चयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

6.3 पंचायती राज संस्थाएँ-

6.3.1 योजना की निगरानी हेतु जिला, जनपद एवं ग्राम स्तर पंचायती राज संस्थाएँ प्रमुख भूमिकाओं का निर्वहन करेंगी।

6.3.2 ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक कार्यों हेतु एक पृथक से सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जो समय-समय पर कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य करेगी। कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का प्रमाण-पत्र लगाया जाना आवश्यक होगा।

- 6.3.3 ग्राम सभा का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का सतत निरीक्षण करे तथा कराये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी करे। ग्राम सभा की बैठकों में आवश्यक दस्तावेज यथा मस्टर रोल, बिल, व्हाउचर, माप पुस्तिका इत्यादि को उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत तथा संबंधित कियान्वयन एजेंसी का होगा।
- 6.3.4 जनपद पंचायत स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी योजना की कार्ययोजना से 5 लाख रु. से कम लागत के कार्य जो ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने हैं, के चयन संबंधी योजना तैयार कर जिला पंचायत के माध्यम से जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) से अनुमोदन प्राप्त करेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) के अनुमोदन के उपरान्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। राज्य स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी/जिला पंचायत द्वारा जनपद स्तरीय कार्यों का सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत द्वारा राज्य परिषद तथा जिला पंचायत द्वारा योजना से संबंधित समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों को किया जावेगा।
- 6.3.5 जिला पंचायत स्तर पर सहायक कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) द्वारा योजना की कार्ययोजना से जो कार्य जिले की विभिन्न कियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाना है, के चयन संबंधी योजना तैयार कर जिला समन्वयक से स्वीकृति प्राप्त करेगी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।
- 6.3.6 जिला पंचायत का यह दायित्व होगा कि जनपद स्तरीय विकास योजनाओं को अंतिम रूप देते हुये जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिले में जारी कार्यों का सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा राज्य परिषद द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को संपादित करेंगे।

6.3.7 अन्य क्रियान्वयन एजेंसी— विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे रोजगारमूलक कार्यों का विभागीय नियमावली के अंतर्गत नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य संबंधित विभाग द्वारा ही किया जावेगा। यह कार्य रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।

6.4 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पर्यवेक्षण—

जिले में योजना के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक की होगी। योजना के क्रियान्वयन की पाक्षिक समीक्षा अपने स्तर पर करेंगे तथा समुचित निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों को देंगे। यदि कोई प्रकरण बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का प्रकाश में आता है तो कारणों का विश्लेषण कर सम्यक कार्यवाही करेंगे।

6.4 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व—

6.4.1 आडिट

6.5.1.1 योजनांतर्गत समस्त कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय अंकेक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है। यह कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक जिले द्वारा किया जाना चाहिये।

6.5.1.2 (1) राज्य एवं जिला स्तर पर आडिट का कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जावेगा। राज्य स्तर पर चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति सशक्त समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जावेगी।

(2) स्थानीय निधि अंकेक्षकों द्वारा भी आडिट का कार्य सम्पादित किया जायेगा। आडिट की एक प्रति छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी परिषद को भेजी जावेगी।

(3) महालेखाकार, छ.ग. द्वारा भी योजना के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया जावेगा। महालेखाकार कार्यालय की टीम को आडिट कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किये गये आडिट की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

(4) पंचायत एवं समाज सेवा विभाग के जिला अंकेक्षकों द्वारा भी ग्राम पंचायतों का निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आडिट कार्य सम्पादित किया जायेगा।

6.5.1.3 जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय में भी जिला आंतरिक अंकेक्षण सेल का गठन किया जावेगा जिसके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा की रिपोर्ट का विशेष आडिट किया जा सकता है। आडिट में पाई गई गंभीर अनियमितताओं की रिपोर्ट जिला कार्यक्रम समन्वयक और छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भेजी जावेगी। परिषद द्वारा गंभीर अनियमितताओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

6.5.2 सामाजिक अंकेक्षण—

6.5.2.1 प्रत्येक क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य के सम्पादन, अनुश्रवण, प्रगति तथा गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जायेगा। समिति का कार्यक्षेत्र सम्पादित किये जाने वाले कार्यस्थल से संबंधित ग्राम होगा।

6.5.2.2 ग्राम सभा के प्रत्येक त्रै-मास बैठक में रोजगार की मांग, पंजीयन, परिवार रोजगार कार्ड, कार्य पर कार्यरत लोगों की सूची अथवा ऐसे लोगों की सूची जिन्हें रोजगार-प्राप्त नहीं हुआ है, किये गये भुगतान की राशि, अकुशल मानव श्रम पर किये गये भुगतान, कार्य पूर्ण करने में लगा समय, कुशल श्रमिक, सामग्री, सृजित मानव दिवस, सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट, मस्टर रोल की प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

6.5.2.3 मस्टर रोल पर दर्शाये गये श्रमिकों, भुगतान की राशि, कार्य दिवस, अकार्य दिवस के विवरण ग्राम सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया जाना अनिवार्य होगा।

6.5.3. छ.ग. रोजगार गारंटी परिषद द्वारा आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही—

छ.ग. रोजगार गारंटी परिषद को प्रत्येक आडिट रिपोर्ट प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा, चाहे वह आडिट चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा, आंतरिक आडिट सेल द्वारा, महालेखाकार के अंकेक्षकों द्वारा अथवा सामाजिक अंकेक्षण द्वारा

किया गया हो। परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि गंभीर आर्थिक अनियमितताओं, धोखाधड़ी, गलत नाप, मस्टर रोल में असत्य प्रविष्टियां एवं अन्य गंभीर अनियमितताएँ जिससे कि शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग किया गया हो, के संबंध में जल्द से जल्द कार्यवाही हों तथा इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाये जावेंगे।

6.6 जनपद पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी एवं कार्यक्रम अधिकारी के मध्य समन्वय—

जनपद पंचायत स्तरीय समस्त क्रियान्वयन एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम अधिकारी को यथा संभव सहायता एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

6.7 सूचना का अधिकार—

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय निर्देशों के अनुसार सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर आवेदित जानकारी उपलब्ध करायी जावेगी।

6.8 प्रशिक्षण—

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।